





(केवल 65 + की आयु के ऐसे आवेदन जो यात्रा पर अकेले जा रहे हैं को ही सहायक ले जाने की पात्रता है, जिसकी उम्र 21-50 वर्ष के मध्य होगी। समूह में यात्रा करने पर 3 से 5 यात्रियों तक केवल 1 सहायक ही ले जा सकते हैं)

12. (अ) आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण

(श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा योजना नियम- 10 (5) के अंतर्गत) :-

पूरा नाम	:																			
पिता/पति का नाम	:																			
संबंध (रिश्ता)	:																			
दूरभाष नम्बर	:																			
वर्तमान पूर्ण पता	:																			
जिला	:																			
राज्य	:																			
पिन कोड	:																			

नामित प्रतिनिधि के  
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## // आवेदक द्वारा घोषणा //

मैं ..... आत्मज/आत्मजा ..... निवासी .  
..... घोषणा करता  
हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य है।

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा योजना के नियम व निर्देश मैंने पूर्णतः पढ़/सुन कर समझ लिये हैं और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
- (2) यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
- (3) इस योजना के अंतर्गत मैंने पूर्व में यात्रा नहीं की है।
- (4) यात्रा हेतु चयन, किसी व्यक्ति को यात्रा पर ले जाने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा।
- (5) मैं वर्तमान में शासकीय सेवक नहीं हूँ।
- (6) यात्रा हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हूँ।
- (7) सम्पूर्ण यात्रा अवधि में तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करूंगा/करूंगी।
- (8) यात्रा अवधि में निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देश का पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## // चिकित्सा प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती... ..  
आत्मज/आत्मजा .....  
निवासी..... जिला ..... आयु .....  
..... वर्ष..... यात्रा करने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हैं और किसी  
संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है।

शासकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर  
एवं पद मुद्रा

## श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा योजना पावती

श्री/श्रीमती .....  
आत्मज/आत्मजा ..... निवासी .....  
..... जिला ..... का आवेदन-पत्र क्रमांक .....  
दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

## समूह में यात्रा करने पर विवरण

(अधिकतम 10 व्यक्ति समूह में यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। 65+ वर्ष से अधिक की आयु के आवेदक यदि अपने जीवन साथी के बिना समूह में अकेले यात्रा कर रहे हैं तब 3 से 5 यात्रियों को 01 सहायक के जाने की पात्रता है। समूह के समस्त सदस्यों एवं सहायकों के नाम यहां भरें। समूह के सभी सदस्यों एवं सहायकों के पृथक-पृथक आवेदन भी संलग्न करें)

समूह के सदस्यों के नाम

\* (इस स्थान में समूह के मुखिया का नाम भरें)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

क्या समूह के सभी सदस्यों के आवेदन संलग्न है (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)—हां  नहीं

कुल जमा आवेदनों की संख्या—

सहायकों के नाम

1	
2	
3	

क्या समूह के सभी सहायकों के आवेदन संलग्न है (जो लागू हो उसके समक्ष ✓ का निशान लगावें)—हां  नहीं

कुल जमा आवेदनों की संख्या—